कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–616/135 रायपुर, दिनांक 17/01/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन – VCA के सामने
सिविल लाईन, नागपुर – 440001

विषयः – **Diversion of 4.990 ha. of forest land in Buffer Zone of Indrawati Tiger Reserve Bijapur for construction of Headquarter of 15th Vahini Battalion Chhattisgarh Force in Village Dhanora, Bijapur District in the State of Chhattisgarh-reg.**
– **पंजीयन क्रमांक 2011/ 08**

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्र क्रमांक FC-II/ CH-84/ 2017 NGP/ 2957 दिनांक 29.11.2017
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व / व.प्रा./ त.अधि/ 1218 दिनांक 11.01.2018

—00—

विषयांतर्गत संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतः संदर्भ पत्र –2 से बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर द्वारा प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

क्र	विवरण	टीप
1.	Name of signing authorities have not been mentioned in Part-I and Part-II. Further, date of submission has not been mentioned in Part-II.	प्रस्ताव के पार्ट–I एवं पार्ट–II का दिनांक एवं नाम सहित सील की पूर्ति प्रस्ताव में कर दी गई है। **(संलग्नक–1)**
2.	Details of tree enumeration, detailing category wise number of project affected trees have not been uploaded on the website.	प्रस्तावित क्षेत्र में 83 वृक्ष विद्यमान है जिसे सुरक्षित रखा जावेगा। वृक्ष विहीन क्षेत्र को ही उपयोग किया जावेगा, वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष विदोहन न होने के कारण अपलोड़ नहीं किया गया है।
3.	No proposal for raising CA has been submitted by the State Government adverting to the Guidelines of the MoEF&CC conveying general approval and relaxing the provisions of the CA. In this regard, it is to submit that provision of relaxing the CA have been provided in respect of proposals falling into the categories for which the MoEF&CC has accorded general approval. Instant case, does not constitutes the part of categories for which general approval has been accorded	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11–9/98–एफ.सी दिनांक 16.06.2011 के अनुसार 5.00 हे. तक के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलो में वृक्षारोपण की बाध्यता नहीं होगा। उक्त निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित नहीं किया गया है। **(संलग्नक–2)**

	by the Central Government. Therefore, the State Government needs to submit the proposal for raising CAin the instant case.	
4.	No justification for locating the project in the forest land has been submitted by the State Government. Instant project, being non-site specific, normally does not deserve consideration by the Central Government. Valid and cogent justification for the inescapability of the forest land may be submitted by the State Government.	सम्पूर्ण बीजापुर जिला अतिसंवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित है। भारत रक्षित 15वीं वाहिनी गठन से नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सकेगा एवं तत्संबंधी क्षेत्र की संरक्षा एवं नक्सली गतिविधियों के रोकथाम सुनिश्चित हो पायेगी। जिला का मुख्यालय बीजापुर होने के कारण बीजापुर जिले से 8.00 कि.मी पर लगा हुआ ग्राम धनोरा में भारत रक्षित 15वीं वाहिनी के मुख्यालय स्थापना हेतु प्रस्तावित किया गया है जिला मुख्यालय से लगा हुआ क्षेत्र में भारत रक्षित 15वीं वाहिनी के मुख्यालय स्थापना से क्षेत्र की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी व बीजापुर में व्यवसायिक, सामाजिक जैसे विकासमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
5.	Detailof non-forest and Government land available in the Bijapur Forest Division may be submitted by the State Government.	कलेक्टर, जिला–बीजापुर का प्रमाण पत्र संलग्न है। जिला बीजापुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला–बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनोरा के संरक्षित/असीमांकित / राजस्व वन भूमि को चयनित किया गया है। जिला मुख्यालय से क्षेत्र की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी व बीजापुर में व्यवसायिक, सामाजिक जैसे विकासमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलोगा। इस कारण ग्राम धनोरा में भूमि चयनित किया गया है। **(संलग्नक–3)**
6.	Examination of compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, revealed that record of consultations/ proceedings of Sub-Divisional Level Committee has not been submitted.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत उप वन मंडल स्तरीय कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
7.	Project layout map conspicuously depicting component wise breakup of the arearequired for diversion has not been submitted. The same should have been submitted clearly depicting all project components.	परियोजना का ले–आऊट प्लान संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
8.	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	भारत रक्षित 15वहीं वाहिनी के मुख्यालय स्थापना से छत्तीसगढ़ राज्य के 1000 शिक्षित बेरोजगारों को राजगार उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आस–पास के ग्रामीणों को केम्प के अंदर दैनिक मजदूरी उपलब्ध करायी जावेगी।

अतः मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

17/1/2018

(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

(22)

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–616/136 रायपुर, दिनांक 17/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)**, एवं परियोजना संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **उप निदेशक**, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
3. **कमाण्डेड**, 15 वीं वाहिनी बटालियन (भा./र.) कैम्प, ग्राम धनोरा, बीजापुर

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

17/1/2018

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

दिवाकान्त पाण्डेय
17/1/18
9425592471

(54)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–616/ 1105 रायपुर, दिनांक 09/06/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – **Diversion of 4.990 ha. of forest land in Buffer Zone of Indrawati Tiger Reserve Bijapur for construction of Headquarter of 15th Vahini Battalion Chhattisgarh Force in Village Dhanora, Bijapur District in the State of Chhattisgarh-reg.**
– **पंजीयन क्रमांक 2011/ 08**

संदर्भ:
1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–66/2017/10–2 दिनांक 11.12.2017 एवं अंतिम स्मरण पत्र दिनांक 03.11.2018
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्र क्रमांक FC-II/ CH-84/ 2017 NGP/ 3363 दिनांक 28.02.2018
3. उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2517 दिनांक 14.08.2018

–00–

1. संदर्भ पत्र–1 द्वारा निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.11.2017 द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की जावे। संदर्भ – 1 के पालन में अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/115–616/135 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी जिसकी तीन पृष्ठीय छाया प्रति **संलग्न** कर प्रेषित है।

2. भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा उनके पत्र संदर्भ –2 से चार बिन्दुओं पर पुनः अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। संदर्भ–2 की छाया प्रति **संलग्न** है।

3. संदर्भ पत्र–2 के अनुक्रम में संदर्भ पत्र–3 के माध्यम से उप निदेशक, इंद्रावती टायगर रिजर्व ने जानकारी इस कार्यालय को बिन्दुवार प्रेषित की है।

4. अतः संदर्भ–2 अनुसार चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

क्र	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
I	Details of tree enumeration, detailing category wise number of project affected trees have not been uploaded on the website.	प्रस्तावित क्षेत्र में 83 वृक्ष विद्यमान है जिसे सुरक्षित रखा जावेगा। वृक्ष विहीन क्षेत्र को ही उपयोग किया जावेगा वृक्ष काटने की आवश्यकता नही है। प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित 83 वृक्षों का प्रजातिवार गणना पत्रक **संलग्न** है।
II	Instant case does not constitute the part of 13 categories for which genral approval has been accorded by the Central Government, Therefore the State Government	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर के वन परिक्षेत्र मद्देड़ बफर के अंतर्गत परिसर भोपालपटनम, कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1229 नारंगी वन भूमि रकबा– 26.423 हे. में से रकबा–10 हे.

	needs to submit the proposal for raising CA in the instant case.	नारंगी वन भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट कराया जा कर **संलग्न** प्रेषित है । साथ ही 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना तथा वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र **संलग्न** है।
III	Instant Project is non- site specific accordingly State Government need to submit justification for locating the project in the forest land and inescapability of the forest land.	इस बाबत कलेक्टर बीजापुर द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2018 जारी किया गया है कि जिला – बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनोरा के संरक्षित /असीमांकित/राजस्व वनभूमि को 15वीं बटालियन मुख्यालय की स्थापना हेतु चयनित किया गया है। जिला मुख्यालय के अतिसमीप लगा हुआ क्षेत्र में बटालियन के मुख्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा इस कारण ग्राम धनोरा में भूमि चयनित की गई है। प्रमाण पत्र **संलग्न** है।
IV	As requested, detail of non – forest and Government land available in the Bijapur Forest Division has not been submitted.	कृपया बिन्दु III के पालन का अवलोकन हो। कलेक्टर, जिला – बीजापुर ने अपने प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया है कि जिला मुख्यालय से समीप लगे हुए क्षेत्र में बटालियन के मुख्यालय की स्थापना की जानी है ताकि जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलें। बीजापुर जिले में पर्याप्त शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार 15 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–616/ 1106 रायपुर, दिनांक 09/06/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)** एवं परियोजना संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **उप निदेशक**, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर।
3. **कमाण्डेन्ट**, सेनानी 15 वीं वाहिनी बटालियन (भा./र.) कैम्प, ग्राम धनोरा, बीजापुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़